| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | एकल पीठ<br>श्री सूरज भान जैमन, सदस्य<br>उपस्थितिः—<br>श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी<br>श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता<br><br>आदेश दिनांकः 15 —05—2019<br>यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 15/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18—7—2006 के विरूद्ध में प्रस्तुत की गई है।<br>2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि ग्राम भादरलाऊ (सोमेसर) के पुराने खसरा नंबर 85 वर्तमान खसरा नंबर 22 में 484 वर्गगज भूमि का संग्रह स्थल हेतु आवंटन दिनांक 18—10—1985 को तहसीलदार, देसुरी के द्वारा प्रार्थी को किया गया था जिसे तहसीलदार, देसूरी (जिला पाली) ने उक्त आवंटित भूमि को पुनर्ग्रहित कर कब्जा सरकार के हक में लेने का आदेश दिनांक 01—02—2003 पारित किया। जिसका उपयोग व उपभोग आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रार्थी करता आ रहा है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध संग्रहस्थल का पटटा निरस्त करने व आवंटन को निरस्त करने का प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को दिनांक 1—2—03 को उपस्थित होने का नोटिस दिया। उक्त दिनांक को प्रार्थी उपस्थित हुआ तथा प्रार्थी ने जबाव पेश करने के लिए अवसर चाहा किन्तु तहसीलदार देसूरी ने अपने आदेश दिनांक 1—2—03 के द्वारा प्रार्थी को किये गये आवंटन को | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | खारिज कर दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने विद्वान जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–6–2003 द्वारा अपील सारहीन होने से खारिज की तथा विद्वान तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित आदेश यथावत रखा। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील पेश की जिन्होंनेअपने निर्णय दिनांक 18–7–2006 द्वारा अपील सारहीन होने से खारिज की है। उक्त निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी पेश की गई है।<br>3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।<br>4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क यह है कि तहसीलदार ने पटवारी हल्का के माध्यम से प्रार्थी के विरुद्ध उसके हक में किये गये आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ की एवं प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 28–1–03 को प्रकरण दर्ज किया गया एवं प्रकरण दर्ज किये जाने के साथ ही प्रार्थी को नोटिस देते हुए आगामी तारीख 1–2–03 को उपस्थित होने के लिए नियत की गयी । दिनांक 1–2–03 को प्रार्थी को जबाव एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपने आदेश दिनांक 1–2–03 को आवंटन खारिज कर दिया जबकि तहसीलदार को यह लाजमी था कि प्रार्थी को अपना पक्ष पेश करने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करते , जिसके अभाव में तहसीलदार का आदेश 1–2–03 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की थी जिन्होने भी अपील को खारिज कर दिया। इसके अलावा उनका यहभी तर्क है कि तहसीलदार देसूरी आवंटन नियमों के तहत केवल आवंटन अधिकारी है। तहसीलदार को प्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त करने का | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधिकार नहीं था क्योंकि आवंटन नियम 1961 के नियम 4 के तहत केवल आवंटित रकबा को रिज्यूम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार रहित है। दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस दृष्टिकोण से अपील को निर्णित नहीं किया है। उनका कथन है कि प्रार्थी का आवंटित रकबा पर उसका पुराने कब्जा होना मानते हुए उसे उक्त विवादित भूमि संग्रह स्थल हेतु भूमि की आवश्यकता होने से आवंटन नियम 1961 के तहत् बाद जांच आवंटित की गई थी, बरवक्त आवंटन ना तो किसी व्यक्ति का ऐतराज था एव न ही खसरा नंबर 85 में से कोई रास्ता होना ही बताया गया था। प्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया एवं ना ही उसे इस आशय का कोई नोटिस दिया गया। इसके उपरांत भी प्रार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत जाकर निरस्त किया गया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार का अपने आदेश में यह मानना कि प्रार्थी ग्राम सोमेसर का निवासी नही है, साक्ष्य के विपरीत है। पटवारी की रिपोर्ट भी सोमेसर ग्राम की है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को सुनवाई का यह अवसर नही दिया गया जिससे कि वह यह साबित करता कि वह सोमेसर गॉव का निवासी है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत एवं गैर कानूनी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली, जिला कलक्टर, पाली एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित आदेश/ निर्णय क्रमशः दिनांक 18–7–2006, 17–6–2003 तथा 01–02–2003 निरस्त किये जावें।<br>5– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश उचित है | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उनका कथन है कि आवंटन आदेश के नियम 4(क) के प्रावधान के तहत् विवादित भूमि पर कभी भी पक्षकार को किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं दिया जाता है जब सरकार चाहे राज्यहित में आवंटित भूमि को अपने कब्जे में वापस ले सकती है। इस प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार को आवश्यकता महसूस होने पर दो संग्रह स्थल सड़क सीमा में आने पाते हुए जनहित में प्रार्थीगण के संग्रह स्थल के आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भी आक्षेपित आदेश में विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए निर्णय पारित किये है जिसमें कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।<br>6— प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि इस भूमि खसरा नंबर 22 के पीछे की तरफ खसरा नंबर 23, 24, 25 है, जो कि सरपंच श्री जैन के रिश्तेदार सुरेश सेठीया के हैं, जिन्हें आवासीय भूखण्ड काटकर ये बेचना चाहते हैं परन्तु उनके फ्रन्ट पर भंवरसिंह व प्रेमसिंह के संग्रह स्थल होने से उनकी बेचान कीमत अच्छी नहीं मिल रही थी तो सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग कर व रा0प्र0वि0 के स्टाफ को गुमराह कर स्कूल की पश्चिमी दीवाल को तोड़कर नया गेट लगाकर नया रास्ता कायम करके खसरा नंबर 23, 24, 25 के लिए रास्ता सदर कायम करने की साजिश की गयी और स्कूल छात्रों के आवागमन की सुविधा की असत्य व झूठा कारण बनाया गया। इस मिशन की सफलता के लिए इन संग्रह स्थलों को जला दिया गया जिसकी एफ.आई.आर. नम्बर 176 दिनांक 16—12—2002 दर्ज करायी गयी। तहसीदार ने दस्तावेजात का अवलोकन ही नहीं किया तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं एकतरफा गैर न्यायिक कार्यवाही के तहत् प्रश्नगत आदेश | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पारित किया है एवं जिला कलक्टर, पाली व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने भी तथ्यों व कानून को नजरंदाज करके अपीलें खारिज की है। अतः इन सभी आदेशों को निरस्त कर अपील को स्वीकार किया जावे।<br>7— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम पाते हैं कि यह एक स्थापित तथ्य है कि भंवरसिंह /प्रार्थी को खसरा नंबर 85 हाल खसरा नंबर 22 में से प्रश्नगत भूखण्ड संग्रहस्थल हेतु दिनांक 18—10—1985 को राजस्थान भू—राजस्व (संग्रहस्थलों हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत आवंटित हुआ था। इसी खसरा नंबर में से अन्य दिनांकों में प्रेमसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह व मगनसिंह पुत्र नारायणसिंह को भी भूखण्ड आवंटित हुए थे। भूखण्ड का उपयोग उपभोग आवंटीं द्वारा वर्ष 2002 तक यानि 17 वर्षो तक किया जाता रहा। तहसीलदार, देसूरी न्यायालय के प्रकरण सरकार बनाम प्रेमसिंह राजस्व विविध/2003 की पत्रावली पर पटवारी हल्का, भादरलाऊ द्वारा तहसीलदार देसूरी को इन भूखण्डों बाबत् दिनांक 23—1—2003 की भेजी गयी मौके की रिपोर्ट के बिन्दु—3 के अनुसार इस भूखण्ड पर कांटो की बाड़ लगी हुई थी। इस बिन्दु को उद्धृत किया जाना समीचीन है।<br>''3— वर्ष 1985 को संग्रह स्थल हेतु जारी पट्टे के बाद मेरे कार्यकल 1997 से कांटो की बाड़ थी। दिनांक 23—01—2003 को मौके पर कांटों की बाड़ नहीं है।''<br>8— भंवरसिंह पुत्र मानसिंह, मगसिंह पुत्र नारायणसिंह, प्रेमसिंह पुत्र हनुवन्त सिंह तीनों को वर्ष 1985 से पट्टे आवंटित हुए थे, जो कि साबिक खसरा नंबर 85 के हाल खसरा नंबर 22 में है। राजस्व नक्शा के | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अनुसार हाल खसरा नंबर 22 के पीछे की तरफ खसरा नंबर 23 व 25 है व 23 व 25 के पीछे खसरा नंबर 24 है। भंवरसिंह पुत्र मानसिंह द्वारा पुलिस थाना–रानी में एफ.आई.आर. नंबर 176 दिनांक 16–12–2002 दर्ज करायी थी कि नरेश जैन, सुरेश सेठिया व अर्जुन हरिजन के द्वारा इन तीनों बाड़ों में आग लगा दी गइ थी। इस एफ.आई.आर. में अन्वेषण के पश्चात् सिविल न्यायाधीश क0ख0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम खण्ड देसरी में मुलजिमों के विरूद्ध चालान पेश हुआ था। उक्त अपराध विवरण फार्म में इन प्लाटो (संग्रह स्थलों) को डामर सड़क के मध्य से 42.8 फीट दूरी पर होना बताया है तथा सड़क व प्लाटो के इस 42.8 फीट की दूरी में सड़क के सहारे कच्ची पटरी भी दर्शायी हुई है और इन प्लाटो के पीछे की तरफ चम्पालाल सेठिया के कृषि फार्म की पक्की दीवाल होना दर्शाया हुआ है। सुरेश सेठीया और चम्पालाल पिता–पुत्र हैं।<br>9– तहसीलदार देसूरी की पत्रावली सरकार बनाम भंवर सिंह राजस्व विविध वर्ष 2003 की आदेशिका दिनांक 28–01–2003 अनुसार यह पाया जाता है कि पटवारी भादरलाऊ द्वारा इन भूखण्डों की दिनांक 23–01–2003 की मौके की, की गयी रिपोर्ट के आधार पर भंवरसिवंह सिंह को नोटिस क्रमांक राजस्व/02/77 दिनांक 28–01–2003 जारी किया गया । भंवर सिंह द्वारा नोटिस का अन्तरिम जवाब दिनांक 01–02–2003 को तहसीलदार, देसूरी को पेश करते हुए समय चाहा गया। उक्त जवाब को हम यहां उद्धृत करना उचित समझते हैं जो निम्न प्रकार है :–<br>1–'' श्रीमान द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 1–2–03 को 10 बजे बाहर गॉव से आने पर मिला। इस सम्बन्ध में जबाव हेतु मेरी पाली अधिवक्ता से बात करने पर राजस्व रिकार्ड की नकलों की आवश्यकता प्रार्थी को | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बताई है।<br>2—यह कि जबाव तैयारी हेतु अधिवक्ता द्वारा चाही गई निकले जिसमें पुराना राजस्व नक्शा, मिलान क्षेत्रफल ,नया नक्शा म्यूटेशन ,सिविल एवं फौजदारी न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की नकले प्राप्त होनी शेष है।<br>3—यह कि उक्त परिस्थितियों में जबाव आज प्रस्तुत करने में मजबूरी है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक नागरिक को सुनवाई साक्ष्य सबूत पेश हेतु पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए।''<br>अतः निवेदन है कि न्यायहित में विधि सलाहकारों से सम्पर्क कर जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिलाने की कृपा करावें।<br>दिनांकः2—2—3003.<br>10— इस जबाव में इस संग्रहस्थल से संबंधित प्रार्थी/भंवर सिंह ने सिविल मुकदमों, फौजदारी प्रकरणों के कागजात एवं राजस्व नक्शा, मिलान क्षेत्रफल पेश करने का समय चाहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भंवर सिंह द्वारा तहसीलदार देसूरी को प्रस्तुत जबाव दिनांक 01—02—2003 अन्तरिम जवाब था, उसने समय भी मांगा था तथा जवाब के तथ्य सिविल मुकदमा व फौजदारी प्रकरण, एफ.आई.आर. नंबर 176 दिनांक 16—12—2002 के अन्वेषण व चालान के तथ्यों से समर्थित भी थे फिर भी पट्टे की भूमि का उपयोग , उपभोग आवंटन शर्तो के प्रतिकूल माना है, जो कि तथ्यात्मक व सारपूर्ण नहीं है, क्योंकि पट्टे की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी व अस्थाई निर्माण था ही नहीं बल्कि एफ.आई.आर. नंबर 176 दिनांक 16—12—2002 की कार्यवाहियों से एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 23—01—2003 से ही प्रमाणित है कि पट्टे की भूमि पर कांटो की बाड़ 1997 से लेकर उसमें आग लगाये जाने या नि दिनांक 14—02—2002 तक बनी हुई थी एवं दिनांक 23—01—2003 को | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बाड़ नहीं थी। द्वितीयतः तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रार्थी को विस्तृत जवाब मय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद किये जाने मांग समय (अवसर) नहीं दिया जाकर तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के भी विपरीत है। सड़क के मध्य से इन भूखण्डों के बीच 42.8 फीट की पटरी कायम थी तो स्कूल में बच्चों के आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता था जबकि निर्णय दिनांक 01–02–2003 में यह आधार लेना कि ग्राम पंचायत द्वारा की गयी मांग के कारण पट्टा भूमि को पुनग्रहित किया जाना है न केवल बनावटी आधार है बल्कि तहसीलदार को इस भूमि को पुनर्ग्रहित करने का क्षेत्राधिकार भी नहीं था। मूल निवास प्रमाणपत्र दस्तावेजात इत्यादि से प्रमाणित है कि भवर सिंह का सोमेसर में भी निवास आवास इत्यादि है व वे पशुधन रखते हैं व कृषि कार्य भी करते हैं और कृषक है एवं आवंटन शर्तो की पालना नही किया जाना भी प्रमाणित नही है। अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा भवंर सिंह के संग्रह स्थल के आवंटन को निरस्त करने व भूमि पुनर्ग्रहित करने का आदेश न केवल उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों को नजरअंदाज कर व बिना पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया त्रुटिपूर्ण आदेश है बल्कि पुनर्गहित संबंधी आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर भी है।<br>11– अपील में यह आक्षेप भी लगाया गया है कि अनिल जैन, सुरेश सेठिया व अन्य के खेत खसरा नंबर 23, 24 व 25 की अवस्थिति खसरा नंबर 22 के पिछवाड़े की तरफ होने से इन व्यक्तियों द्वारा जिनमें एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सरंपच भी है,की साजिशन (स्वयं के लाभ के लिए रास्ता प्राप्त करना) इन संगहण स्थलों पर आग लगायी थी, जो कि प्रमाणित भी हुआ है, भी यह संकेत देता है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित उक्त प्रश्नगत आदेश के पीछे उक्त परिस्थितियां भी कारण रही | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | थी। इस आदेश के विरूद्ध विद्वान जिला कलक्टर के समक्ष व राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में भी उक्त समस्त दस्तावेजात व तथ्यों को नजरंदाज किया गया है बल्कि विद्वान अदालतों के समक्ष अपीलार्थी ने उक्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये परन्तु उन पर गौर नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपील में उठाये गये आक्षेपात सारपूर्ण होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–7–2006 विद्वान जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2003 एवं विद्वान तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–02–2003 निरस्त किये जाने योग्य है।<br>12– परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–7–2006 विद्वान जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2003 एवं विद्वान तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–02–2003 अपास्त किये जाकर संग्रह स्थल हेतु जारी पट्टा आवंटन दिनांक 18–10–1985 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(सूरजभान जैमन)<br>सदस्य | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |